(d) the reasons for which award winning film "Voices of Baliapal" was kept out of the film festival?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) In his speech at the Inaugural Function of National Film Festival held on 31-5-89, Shri Sethna had made a mention of certain award winning films which had not been telecast by Doordarshan several years after they have won National Awards.

(b) and (c) Shri Sethna had not listed the award winning films of 1988 which were not shown on Doordarshan. He had, however, cited certain award winning film like 'Bombay Our City', 'Bhopal Beyond Genocide', 'Paani' and 'An Indian Story' that had not been telecast by Doordarshan several years after they had won National Awards. Doordarshan does consider for telecast award winning and non-award winning documentary and short films. However, only those films which are found suitable for telecast on Doordarshan and are of contemporary relevance are telecast. The issue of telecast of 'Bombay Our City' and 'Bhopal Beyond Genocide' is *sub-judice*. As regard 'Paani' the film has been shot at a location in Maharashtra and the language is Marathi. Doordarshan had asked the producer to do the paradubbing in English which he could not do. Later on he was advised to do the sub-titling in English which was done. Doordarshan has received the cassette recently. It is being considered for the telecast on the National hook up. The Ministry is not aware of any offer from the producer about the film entitled 'An Indian Story'.

(d) The film 'Voices of Baliapal' was screened for the public at Siri Fort Auditorium on 1-6-89 at 3.00 p.m. and on 11-6-89 at 5.00 p.m. during the National Film Festival held from 1-6-1989 to 11-6-89. This film has also participated in the Sydney Festival in Australia and the Ober-hausen Film Festival in West Germany.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग द्वारा निर्मित आवासीय एककों की कीमत का निश्चित किया जाना

1217. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के ऐसे कितने आवासीय एकक हैं जिनके लिए 1984 में मालिकाना अधिकार देने की योजना अधिसूचित की गयी थी ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन एककों की कीमत किस आधार पर निश्चित की गयी थी और क्या इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गयी थी यदि हां, तो कब; और

(ग) स्वामी दयानन्द कालोनी, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, आजाद मार्ग स्थित प्रत्येक आवासीय एकक का कितना-कितना मूल्य निश्चित किया गया था और इन मूल्यों के निश्चित किये जाने का क्या आधार था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 18,265 रिहायशी एकक ।

(ख) इन रिहायशी एककों की लागत प्रति टेनामेंट की पूंजी लागत के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के रूप में इकानामिक लाइसेंस फीस के 20 गुणा आधार पर निर्धारित की गई थी जिसमें भूमि की लागत, भूमि की विकास लागत और निर्माण की वास्तविक लागत शामिल थी । सरकार का अनुमोदन 22-10-85 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कन्ध को सूचित कर दिया गया था ।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

(i) स्वामी दयानन्द कालोनी चरण-II (बाग कड़े खां)

टेनामेंटों की संख्या	256
परिसमापन लागत	15,000/- रुपये
भूमि किराया	42/- रुपये प्रति वर्ष

(ii) स्वामी दयानन्द कालोनी चरण- III

टेनामेंट की संख्या	96
परिसमापन लागत	14,550/- रुपये
भूमि किराया	38/-रुपये प्रति वर्ष

(iii) चन्द्र शेखर आजाद कालोनी (बाग कड़े खां चरण-II)

टेनामेंटों की संख्या	192
परिसमापन लागत	14,850/- रुपये
भूमि किराया	39/-रुपये प्रति वर्ष

(iv) चन्द्र शेखर आजाद कालोनी चरण-IV

टेनामेंटों की संख्या	256
परिसमापन लागत	21,900/- रुपये
भूमि किराया	58/- रुपये प्रति वर्ष

इन कीमतों के निर्धारण का आधार उपर्युक्त (ख) में पहले ही दे दिया गया है।

ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

1218. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1983 से पहले की बनी हुई कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अभी तक भूमि का आवंटन नहीं किया गया है और इस अवधि के दौरान कितनी सोसाइटियों का पंजीकरण किया गया है और इन सोसाइटियों में प्रत्येक सोसाइटी की सदस्य संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ऐसी सोसाइटियों की संख्या कितनी है जिनके मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा उनका पंजीकरण किये जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसकी विधिवत सूचना दे दी थी ; और

(ग) इस प्रकार विधिवत पंजीकृत इन सोसाइटियों को कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1983 से पहले की 23 समितियों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है। 1983 से पहले की 539 ऐसी पंजीकृत समितियां हैं जिनका परिसमापन नहीं हुआ है। ऐसी प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या अनुपत्र में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 89क]

(ख) सहकारी समितियों के पंजीकार, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन हेतु 1983 से पूर्व 541 सामूहिक आवास समितियों को प्रायोजित किया था।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित इन 23 समितियों के मामलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बन्द कर दिया था क्योंकि या तो उन्होंने इस प्रयोजन के लिये आवेदन आमंत्रित करते समय आवेदन